

भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०-116/2017-18

आदेश की तिथि	आदेश	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
05.12.2017	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। अगली तिथि 15.01.2018 को निर्धारित की जाती है। अभिलेख 15.01.2018 को उपस्थापित करें। <i>Amu</i> 5.12.17 भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	
15.01.2018	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, सोनुआ के पत्रांक 16 दिनांक 15.01.2018 द्वारा जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, सोनुआ ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक श्री प्रेमलाल महतो, पिता स्व० ताराचंद महतो, ग्राम-महुलडीहा, पोस्ट-सोनुआ, थाना-सोनुआ, जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। खतियानी जमीन मौजा-नरांगा, खाता नं०-152, प्लॉट नं०-131, रकबा-0.04 ए०,क्रेता श्री गौर हरि महतो, पिता-स्व० घनश्याम महतो, ग्राम-विनका,पोस्ट-सोनुआ, थाना-सोनुआ, जिला प० सिंहभूम के पास बिक्री करना चाहते हैं। दोनों पक्षों को सूचना निर्गत किया गया एवं आम इश्तेहार किया गया। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जानेवाली जमीन आवेदक श्री प्रेमलाल महतो, पिता स्व० ताराचंद महतो के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास 30,000/- (तीस हजार)रुपये में बेचना चाहते हैं। आम इश्तेहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आज तक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है। विक्रेता एवं क्रेता अंचल एवं थाना-सोनुआ के निवासी हैं। विक्रेता एवं क्रेता दोनों "कुर्मी" (अ.पि.वर्ग) समुदाय के सदस्य हैं। विक्रेता उक्त वर्णित भूमि मकान बनाने हेतु बेचना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि के बिक्री के पश्चात विक्रेता को जीविकोपार्जन हेतु रकबा-5.33 ए० भूमि अवशेष के रूप में बचती है। अंचल अधिकारी, सोनुआ द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा आम इश्तेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप आवेदक/आवेदिका को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त जमीन क्रेता श्री गौर हरि महतो, पिता-स्व० घनश्याम महतो, ग्राम-विनका, पोस्ट-सोनुआ, थाना-सोनुआ, जिला प० सिंहभूम के पक्ष में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(i)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत उक्त भूमि हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी जाती है। लेखापित <i>Amu</i> 15.1.18 भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर <i>Amu</i> 15.1.18 भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर	